हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव अधिनियम, 2006

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हिमाचल **प्रदेश उच्च न्यायालय (HP HC) ने** हाल ही में हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और संशोधन) अधिनियम, 2006 को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार को **विधानसभा सदस्यों (MLAs) को मुख्य संसदीय सचिव (CPS)** के रूप में नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी।

- न्यायालय ने फैसला दिया कि HPPSA, 2006 **राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है,** जिससे यह कानून असंवैधानिक हो जाता है।
- HPPSA, 2006 से **अनुच्छेद 164 (1-A) का उल्लंघन होता है,** जिसके तहत **कैबिनेट का आकार और उसकी संरचना** सीमित की गई है।
    - अनुच्छेद 164 (1-A) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या **15% से अधिक नहीं** होगी।
- न्यायालय ने कहा कि **CPS द्वारा औपचारिक शक्तियों के अभाव के बावजूद मंत्रियों के समान कार्य करने के साथ** समान सुविधाएँ, सरकारी फाइलों तक पहुँच और निर्णय लेने में भागीदारी का लाभ उठाया।
- इसके अतिरिक्त **"लाभ के पद"** के तहत **सार्वजनिक पद धारकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने** के क्रम में अपने पद का उपयोग करने से रोका गया है। संवैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थित न होने पर CPS जैसे पदों का सृजन **इसका उल्लंघन** है।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रियों और संसदीय सचिवों के बीच अंतर आभासी होने के साथ संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है।
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को CPS नियुक्तियाँ तुरंत समाप्त करने तथा इनके सभी संबंधित विशेषाधिकार रद्द करने का आदेश दिया।
- इससे पूर्व **सर्वोच्च न्यायालय** ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, गोवा और असम जैसे राज्यों में संसदीय सचिव के पदों के सृजन को लगातार **असंवैधानिक करार देते हुए मंत्रिपरिषद में 15% की अधिकतम सीमा** का हवाला दिया है।

और पढ़ें: **महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष करने हेतु विधेयक**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hp-parliamentary-secretaries-act,-2006